नाम- अजय कुमार

निर्देशक- डॉ॰ अनिल कुमार

हिन्दी विभाग, भाषा एवं मानविकी संकाय, जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली ।

विषय- स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी उपन्यासों में अल्पसंख्यक समुदाय की समस्याएँ

भारत के संविधान में भाषायी व धार्मिक अल्पसंख्यकों को मौलिक अधिकारों के साथ-साथ अनुच्छेद 27, 28, 29, 350 (क) (ख) में कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन इन अधिकारों के होते हुए भी अल्पसंख्यक समुदाय की समस्याएँ कम नहीं हुई हैं। समाजशास्त्रियों, विचारकों, व विद्वानों ने अल्पसंख्यक समुदायों में व्याप्त पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनैतिक व भाषायी समस्याओं का उल्लेख किया है। उपर्युक्त समस्याओं के कारण अल्पसंख्यक समुदाय में असुरक्षा की भावना, भविष्य का प्रश्न, अलगाव वाद, व कट्टरपन उत्पन्न हुआ है। साम्प्रदायिक दंगों के कारण अल्पसंख्यक 'घेटो' बनने पर मजबूर हैं। मुस्लिम अल्पसंख्यक यदि समूह में रहते हैं, तो बहुसंख्यक द्वारा उस स्थान को 'मिनी पाकिस्तान' विशेषण लगाकर उन्हें 'शक' व 'अलगाव' की दृष्टि से देखा जाता है और यदि वे अलग-अलग रहते हैं तो दंगों के दौरान उन्हें 'भय' व 'असुरक्षा' का सामना करना पड़ता है। दंगों में पोशाक अल्पसंख्यक समुदाय की पहचान में निर्णायक साबित होती है। किसे मारना है या किसे छोड़ना है इसका निर्धारण प्रायः पोशाक करती ह।

अल्पसंख्यक समुदाय को बेरोजगारी की समस्या से झूझना पड़ रहा है। सिख, ईसाई, मुस्लिम अपने मूल में जाति व्यवस्था का खण्डन करते हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप में जाति प्रथा का विरोध किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय में नज़र नहीं आता। दलित समाज पहले सवर्ण जाति की बेगार करता था, व अब ईसाई बनने के बाद चर्च की बेगार कर रहा है, पहले और अब की स्थिति में उसे 'बेगार' से मुक्ति नहीं मिल पायी है। नारी को समानाधिकार, शिक्षा व मुक्ति के नाम पर आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है। प्रायः सभी समुदायों में स्त्री की दशा दोयम दर्जे की है, लेकिन मुस्लिम स्त्री की दशा अन्य समुदायों की तुलना में अधिक दयनीय है। आधुनिक युग में स्त्री को शिक्षा से वंचित करके पर्दे में रखा जाता ह। बहुविवाह, अनमेल विवाह व तलाक के कारण स्त्रियों को हमेशा दूसरे

दर्जे का नागरिक बनाकर रखा जाता है। साथ ही आधुनिक युग में अब मध्यमवर्गीय मुस्लिम स्त्री आधुनिकता व शिक्षा के सम्पर्क में आकर अपनी बेड़ियों को तोड़कर आत्मनिर्भर बन रही है। सरकारी नीतियों का लाभ अल्पसंख्यक समुदायों तक नहीं पहुँच पाता है। धनाभाव व पारम्परिक तरीके के कारण अल्पसंख्यक समुदाय व्यवसाय में पिछड़ता जा रहा है। दंगे व दंगों के बाद कर्फ्यू के कारण अल्पसंख्यक समुदाय का व्यवसाय पूरी तरह चौपट हो जाता है। कर्फ्यू के दौरान हिन्दू आबादी वाले इलाके व मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में भेदभाव किया जाता है व कर्फ्यू में तलाशी के समय अल्पसंख्यक समुदायों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। आधुनिक शिक्षा के स्थान पर धार्मिक शिक्षा पर अल्पसंख्यक समुदाय अत्यधिक जोर देते हैं, लेकिन अब मध्यम व निम्न अल्पसंख्यक समुदाय भी आधुनिक शिक्षा ग्रहण कर रहा है। कठ्मुल्लापन, अतीत मोह व रूढ़िवादिता के कारण अल्पसंख्यक समुदाय बहुसंख्यक समुदाय की तुलना में पिछड़ता जा रहा है।

अल्पसंख्यकों में राजनैतिक नेतृत्व का अभाव है। प्रायः वे वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किये जाते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक मांगों को दर किनार कर जाति, धर्म, क्षेत्रवाद, साम्प्रदायवाद के नाम पर चुनाव लड़े व जीते जाते हैं। सही नेतृत्व के अभाव के कारण ही अल्पसंख्यक समुदाय पादरी, मुल्ला-मौलवी व धर्म गुरुओं के हाथ का खिलौना बनने को मजबूर है। साम्प्रदायिकता के कारण हिन्दू-मुस्लिम, हिन्दू-सिख व हिन्दू-ईसाई दंगे होते रहते हैं। भाषा (हिन्दी, उर्दू, पंजाबी) को स्वार्थ सिद्धि हेतु सम्प्रदाय विशेष (हिन्दू, मुस्लिम, सिख) के साथ जोड़ दिया जाता है। एक भाषा को दो अलग-अलग लिपि में लिखने से वह अलग-अलग सम्प्रदाय में बंट जाती है। साहित्य की गलत व्याख्या से भी समस्या उत्पन्न होती है।

निष्कर्षतः अल्पसंख्यक समुदाय को मुख्य धारा में लाने के लिए उपर्युक्त समस्याओं का निदान अल्पसंख्यक व बहुसंख्यक दोनों को मिलकर करना होगा तभी भारत का सम्पूर्ण विकास सम्भव है। देश के निर्माण में जब अल्पसंख्यकों की भागीदारी है तो हिस्सेदारी भी आवश्यकहै।